

यह ट्रस्ट विलेख आज दिनांक 30/09/23 को परसराम पुत्र श्री धारा सिंह निवासी ग्राम व पो0 जैतपुर कलां तहसील बाह जिला आगरा अध्यक्ष/सचिव एवं मुख्य ट्रस्टी द्वारा श्री धारा सिंह मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, नन्दगॉव रोड ग्राम व पो0 जैतपुर कलां तह0 बाह जिला आगरा अन्य ट्रस्टियों की सहमति से निष्पादित किया जा रहा है।

भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व का आबद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है। सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ के लिये स्वीकार करेगा।

1. ट्रस्ट का नाम — श्री धारा सिंह मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट
2. ट्रस्ट के कार्यालय का पता — नन्दगॉव रोड ग्राम व पोस्ट जैतपुर कलां, तह0- बाह, जिला- आगरा।
विषम परिस्थितियों एवं ट्रस्ट के हितों में कार्यालय भारत वर्ष के किसी भी भाग में परिवर्तित एवं स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
यह घोषण की जाती है कि उक्त ट्रस्ट की वर्तमान में कोई भी चल-अचल सम्पत्ति नहीं है तथा ट्रस्ट का कार्यालय भी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है।
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।
4. ट्रस्ट में लगाया गया धन — मुख्य ट्रस्टी द्वारा 10,000/- दस हजार रू0 नगद ट्रस्ट फण्ड में समर्पित कर उक्त ट्रस्ट का निर्माण किया गया।
5. ट्रस्ट के तत्व — मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्नलिखित तत्वों पर आधारित है-

1. ट्रस्ट का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है।
2. ट्रस्ट का उदय विकास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हितधारियों का होना आवश्यक है। ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार को आबद्ध करेगा।

इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा विश्वासपूर्ण आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे।

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	पता	पद
1	श्री परसराम	श्री धारा सिंह	ग्राम व पो0 जैतपुर कलां तह0- बाह जिला आगरा।	मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष
2	लवकुश यादव Principal Parshuram Global Academy Amahi, Jaitpur Kalan, Agra	जोगेश कुमार यादव	ग्राम किन्दरपुरा पोस्ट होलीपुरा तह0- जिला आगरा।	ट्रस्टी Manager Parshuram Global Academy Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

परशुराम



लवकुश



परशुराम



3	खेम सिंह	मान सिंह	ग्राम मुकटपुरा पो0 जैतपुर कलां तह0- बाह जिला आगरा।	ट्रस्टी
---	----------	----------	--	---------

ट्रस्ट की सदस्यता-

1. इस ट्रस्ट के निर्माण के समय निर्माणकर्ता मुख्य ट्रस्टी संस्थापक/अध्यक्ष और आजीवन ट्रस्टी होंगे।
 2. ट्रस्ट के कुशल संचालन हेतु संस्थापक ट्रस्टियों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य अस्थायी ट्रस्टियों की नियुक्ति संस्थापक/अध्यक्ष के द्वारा निश्चित समयावधि के लिये की जायेगी।
 3. आजीवन ट्रस्टियों से किसी भी ट्रस्टी द्वारा त्याग पत्र दिये जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सर्वसम्मति से किसी भी सदस्य को आजीवन ट्रस्टी का दर्जा प्राप्त हो सकेगा।
 4. अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी के पद त्याग अथवा मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार का सदस्य ही अध्यक्ष/ मुख्य ट्रस्टी होगा।
 5. यदि कोई सदस्य इस ट्रस्ट को भविष्य में 50,000/- पचास हजार रु0 या इससे अधिक अथवा इससे अधिक मूल्य की कोई चल-अचल सम्पत्ति ट्रस्ट फण्ड में जमा करेगा तो उसे इस ट्रस्ट का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।
 6. विशिष्ट सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेष योग्यता रखने वाले अग्रणी व्यक्ति दो वर्ष के लिये अध्यक्ष ट्रस्टी द्वारा समस्त ट्रस्टियों की सहमति से सदस्य नामित किये जा सकेंगे ऐसे सदस्यों की संख्या अधिकतम 5 होगी। ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त रहेंगे तथा उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।
6. ट्रस्ट के उद्देश्य- ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्णतः धर्मार्थ है जो निम्न प्रकार है--

1. शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना व शिक्षा के विकास हेतु जगह-जगह विद्यालयों, शिक्षा संस्थानों, मदरसों आदि की स्थापना करना एवं उनका विधिवत संचालन कर छात्र-छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।
2. शिक्षा विकास हेतु प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल एवं कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सी0वी0एस0ई0 विद्यालय आदि की स्थापना करना तथा निःशुल्क दूरस्थ शिक्षा तकनीकी व्यवसायिक, आद्योगिक, ग्रामोद्योगी कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना तथा निःशुल्क दूरस्थ शिक्षा तकनीकी व्यवसायिक, औद्योगिक एवं ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना।
3. निर्धन, अनाथ अपंग अनुसूचित जाति जन जाति बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व उनकी छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, वाचनालय, खेल स्थल, व्यायामशाला की व्यवस्था करना एवं शैक्षिक व खेल प्रतिभा की प्रतियोगिताओं का आयोजित करना।
4. युवक-युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना व उन्हें शिक्षित कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना तथा जागरूक करना व उन्हें जागरूक करना तथा निःशुल्क शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना समाज के विकासार्थ समय-समय पर युवक-युवती परिचय सम्मेलनों का आयोजन कर सामूहिक एवं एकल विवाह

प्रशराम

Sanjiv

Sanjiv



Principal
Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

Manager
Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

आवेदन सं०: 202300770010121

न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 32

वर्ष: 2023

प्रतिफल: 100000 स्तम्भ शुल्क - 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 160

श्री श्री धारा सिंह मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष द्वारा
परसराम अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री धारा सिंह
व्यवसाय कृषि
निवासी नि० जैतपुर कला त० बाह आगरा



परसराम अधिकृत पदाधिकारी/
प्रतिनिधि

श्री श्री धारा सिंह मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष द्वारा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 30/09/2023 एवं
04 12 40 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कुलदीप कुमार सक्सेना
उप निबंधक : बाह
आगरा
30/09/2023

मुकेश कुमार सक्सेना
निबंधक लिपिक
30/09/2023

Principal
Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

Manager
Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

Manager
Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

संस्कार आयोजित करना एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करना।

5. नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, शिशु-पोषण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम बाल टीकाकरण कार्यक्रमो गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्यक्रम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना एवं समय-समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।
6. नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एवं विज्ञापन, पोस्टर, वैनर आदि के माध्यम से एड्स, कैंसर, हैपिटाइटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाय सुझाना एवं इन पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना एवं मद्यनिषेध कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर चलाना तथा चिकित्सा जगत एवं विज्ञान के क्षेत्र में हुई नयी खोजों से जन-जन को अवगत कराना एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग प्राप्त करके विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वित करना।
7. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं जागरूकता शिविरों निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों, नेत्र रक्षा कैंपों, विचार गोष्ठियों राहत शिविरों जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी प्रौढ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन मद्यनिषेध कार्यक्रम चलाना।
8. ट्रस्ट का उद्देश्य बाहर से आये श्रद्धालुओं को आश्रय प्रदान करना तथा उनको भोजन, कम्बल आदि की व्यवस्था करना।
9. ट्रस्ट का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा हेतु सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशाला एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं, शिक्षा संस्थानों, निःशुल्क ओषधालयों का निर्माण व उसके संचालन की पूर्ण व्यवस्था करना।
10. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सहयोग से चलायी जा रही योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में गंदे पानी की निकासी हेतु नाली कच्चे पक्के नालों का निर्माण एवं मार्ग को जोड़ने के लिये पुलों का निर्माण कराना।
11. जल प्रबन्धन, कृषि अभियन्त्रण, कृषि रक्षा, कृषि आधारित ग्रामोद्योग, यांत्रिक अविष्कार अनुसंधान के सम्बन्ध में कार्य करना तथा बंजर भूमि व ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रमों का संचालन कर भूमि को उपजाऊ व कृषि योग्य बनाना।
12. समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अंधे, कुष्ठ रोगी व मूक बधिरों, विकलांगों व निराश्रित, लाचार, बच्चों, वृद्धजनों के कल्याण के लिये कार्यक्रम करना, बालाश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की स्थापना करना
13. युवाओं में राष्ट्रीय एकता सामुदायिक विकास आपसी सदभावना जैसे मूल्यों का विकास करना तथा उनके प्रचार प्रसार में सहयोग देना। राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना।
14. ट्रस्ट का उद्देश्य वृद्ध लोगों तथा साधुओं को भोजन उपलब्ध कराना एवं उनके कल्याण हेतु शिविरों आदि की स्थापना करना।
15. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम तथा बार्ड विभिन्न कल्याणकारी योजनायें जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपंप, पानी की टंकी लगवाना, क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु

14. संस्था

15. संस्था

16. संस्था

17. संस्था

18. संस्था

19. संस्था

20. संस्था

21. संस्था

22. संस्था

Principal

Parshuram Global Academy

Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

Principal

Parshuram Global Academy

Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

Manager
Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

Principal

Parshuram Global Academy

Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

बही सं० 1

रजिस्ट्रेशन सं० 32

वर्ष 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
न्यासी: 1

श्री श्री धारा सिंह मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष के द्वारा परसराम,
पुत्र श्री धारा सिंह

निवासी नि० जैतपुर कला त० बाह आगरा

व्यवसाय कृषि

न्यासी: 2

परसराम



श्री श्री धारा सिंह मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट सचिव के द्वारा लवकुश
यादव पुत्र श्री जोगेश कुमार यादव

निवासी नि० किन्दरपुरा पो० होलीपुरा त० बाह आगरा

व्यवसाय कृषि

न्यासी: 3

लवकुश



श्री श्री धारा सिंह मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट कोषाध्यक्ष के द्वारा खेम सिंह
पुत्र श्री मान सिंह

निवासी नि० ग्राम मुकटपुरा पो० जैतपुर कला त० बाह आगरा

व्यवसाय कृषि

खेम सिंह



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री चन्द्रेश यादव पुत्र श्री छोटे सिंह

निवासी नि० गली गोपाल जी कस्वा व त० बाह आगरा

व्यवसाय कृषि

पहचानकर्ता: 2

चन्द्रेश यादव



श्री संतोष यादव पुत्र श्री गांधी सिंह

निवासी नि० गोहरा त० बाह आगरा

व्यवसाय कृषि

संतोष



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कुलदीप कुमार सक्सेना

उप निबंधक: बाह

आगरा

30/09/2023

D. Yadav

Manager

Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

मुकेश कुमार सक्सेना
निबंधक लिपिक आगरा

30/09/2023

Principal
Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

सडक खरंजा तथा मलिन बरितियों का सुधार, सफाई व शौचालयों, सामुदायिक केन्द्रों, आश्रय स्थल की स्थापना/निर्माण कराना तथा लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना।

16. पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना एवं जगह-जगह वृक्षारोपण कराना एवं पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बढ़ते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना।

17. सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को चलाना व खाली पड़ी ऊसर बंजर भूमि पर सघन वृक्षीकरण का कार्य कर वनीकरण को बढ़ावा देना व अवैध लकड़ी कटाई को रोकने में सरकार का सहयोग करना।

18. ट्रस्ट का उद्देश्य निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियों को गरीबों में बांटना।

19. पशुधन जानवरों के स्वास्थ्य संरक्षण, संबर्द्धन का कार्य करना व बीमार पशुओं व न्यजीवों के लिये पशु चिकित्सालय, पशुशाला गौ संबर्द्धन व संरक्षण करना व गौशाला की व्यवस्था करना एवं उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रेरित तथा जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

20. खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत फलों का संरक्षण प्रशोधन पैकिंग करना व खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत आने वाली प्राकृतिक वस्तुओं को खाने योग्य बनाना व उनके विपणन की व्यवस्था करना तथा प्राप्त आय का संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चौरिटेबिल कार्यों पर व्यय करना।

21. अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आवासीय विद्यालयों, मदरसों, प्रशिक्षण केन्द्रों एवं विभिन्न प्रकार की तकनीकी केन्द्रों की स्थापना करना एवं संचालन करना, महिला विकास कार्यक्रम एवं प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

22. महिलाओं को स्वरोजगार व आत्म निर्भरता प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करना व उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना व शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

23. समाज में व्याप्त कुरीतियों व सामाजिक बुराईयों का खत्म करने का प्रयास करना तथा अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा भूकम्प आदि दैवीय प्रकोप के समय राहत शिविरों आदि का आयोजन कर पीडितों की हर सम्भव सहायता करना।

24. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य कलाप-

(अ) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, अनुदान, उपहार एवं अन्य वस्तुएँ प्राप्त करना एवं चल, अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में समाहित करना।

(ब) ट्रस्ट के हित में सम्पत्ति के पुनः निर्माण एवं नव निर्माण आदि समस्त कार्यों की सहमति से ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा संयुक्त रूप से करना।

25. (अ) Principals ट्रस्ट के समान उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाओं एवं ट्रस्टों से सहयोग का आदान-प्रदान करना।

(ब) ट्रस्ट के उद्देश्य को पूरा करने हेतु सरकार एवं प्रशासन में जनहित में सहयोग का आदान-प्रदान करना।

7. ट्रस्ट का गठन एवं संचालन-

पुलकेश

Josebhar

gobind



1. इस ट्रस्ट में ट्रस्टियों की संख्या न्यूनतम 3 एवं अधिकतम आवश्यकतानुसार होगी।
 2. इस ट्रस्ट में तीन स्थायी सदस्य/ट्रस्टी होंगे जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा नये सदस्य शामिल करके बढ़ायी जा सकती है एवं शेष ट्रस्टीगणों का चयन एवं नियुक्ति स्थायी ट्रस्टीगणों के द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा।
 3. ट्रस्टियों की नियुक्ति एवं पात्रता-
 - (अ) जो स्वस्थ चित्त एवं स्वच्छ आचरण, समाज सेवा एवं धार्मिक कार्यों की भावना रखता हो तथा शिक्षित व्यक्ति हो।
 - (ब) जो किसी नैतिक अपराध के लिये दोष सिद्ध अपराधी न हो तथा दिवालिया न हो।
 - (स) जो भारत का नागरिक हो।
8. इस ट्रस्ट का गठन निम्न व्यक्तियों द्वारा सहमति से किया गया स्थायी एवं आजीवन ट्रस्टीगण-

क्र० सं०	नाम	पिता का नाम	पता	पद
1	श्री परसराम	श्री धारा सिंह	ग्राम व पो० जैतपुर कलां तह०- बाह जिला आगरा।	मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष
2	लवकुश यादव	जोगेश कुमार यादव	ग्राम किन्दरपुरा पोस्ट होलीपुरा तह०- बाह जिला आगरा।	सचिव
3	खेम सिंह	मान सिंह	ग्राम मुकटपुरा पो० जैतपुर कलां तह०- बाह जिला आगरा।	कोषाध्यक्ष

9. ट्रस्ट की सदस्यता-
 1. ट्रस्ट के कुशल संचालन हेतु अध्यक्ष/ मुख्य ट्रस्टी, सचिव, कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सहयोगी पदाधिकारियों की नियुक्ति कर एक कमेटी का गठन किया जायेगा।
 2. मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकेगा।
 3. मुख्य ट्रस्टी की अक्षमता अथवा मृत्यु की स्थिति में मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष के परिवार का सदस्य ही मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष बन सकेगा।
10. ट्रस्ट के ट्रस्टी की सदस्यता निम्न प्रकार से समाप्त हो जायेगी।
 1. किसी ट्रस्टी की मृत्यु हो जाने पर।
 2. किसी ट्रस्टी के पागल अथवा दिवालिया होने पर।
 3. किसी ट्रस्टी के किसी नैतिक अपराध में दोष सिद्ध हो जाने पर।
 4. किसी ट्रस्टी द्वारा त्याग पत्र देने पर।
 5. किसी ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने एवं क्षति पहुँचाने पर।
11. ट्रस्ट के रिक्त हुए स्थान की पूर्ति निम्नानुसार की जायेगी-
 1. स्थायी ट्रस्टी के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सर्वसम्मति से किसी को भी ट्रस्टी नियुक्त किया जायेगा।

Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

स्थान रिक्त होने पर शेष सभी ट्रस्टी बहुमत के आधार पर या किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जावेगी।

पारशुराम



खेम सिंह



3. किसी ट्रस्टी की समयावधि समाप्त होने पर अथवा त्याग पत्र देने पर पुनः उस व्यक्ति की ट्रस्टी के रूप में बहुमत एवं सहमति के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।

12. ट्रस्ट के कार्य संचालन-

1. ट्रस्ट का कार्य संचालन अध्यक्ष/ मुख्य ट्रस्टी एवं अन्य सदस्यों के द्वारा किया जायेगा।
2. ट्रस्टीगणों की वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित की जायेगी परन्तु उपबन्ध यह है कि आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक बैठक भी आयोजित की जा सकेगी।
3. ट्रस्ट की सभी बैठकों की गणपूर्ति ट्रस्टीगणों की संख्या का 2/3 अनिवार्य है।
4. ट्रस्ट का संचालन एवं समस्त कार्यवाहियों का संचालन सामान्य रूप से अध्यक्ष के द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य द्वारा कार्य सम्पन्न किये जायेंगे।
5. कोषाध्यक्ष ट्रस्ट के समस्त आय-व्यय का हिसाब रखेंगे तथा उसका लेखा-जोखा रखेंगे तथा दान अनुदान, चंदा तथा अन्य प्राप्तियों की रसीद जारी करना एवं प्राप्त धन को बैंक में जमा करना तथा आय-व्यय के ब्यौरे को ऑडिटर द्वारा सत्यापित कराकर किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट से परीक्षण करा कर समस्त ट्रस्टीज को अवगत कराना।
6. ट्रस्ट के समस्त वित्तीय खर्ची का अनुमोदन अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) करेंगे।
7. ट्रस्ट का खाता किसी डाकघर अथवा किसी भी बैंक में संचालित किया जायेगा।
8. ट्रस्ट के बैंक खाता अध्यक्ष / मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जायेगा।
9. ट्रस्ट समिति अपने कार्य का संचालन या किसी विशिष्ट कार्य के संचालन हेतु नियम उपनियम अथवा प्रस्ताव द्वारा निर्धारित, संशोधित एवं संचालित कर सकेगी।
10. ट्रस्ट समिति ट्रस्ट के हित में अपनी गतिविधियों के संचालन हेतु चल व अचल सम्पत्तियों को प्राप्त कर सकेगी एवं दान-दाताओं से राशि, सम्पत्ति एवं सहयोग प्राप्त कर सकेगी।

13. मुख्य ट्रस्टियों के कर्तव्य एवं अधिकार-

1. मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष

1. ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना एवं अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट की उन्नति एवं विकास में सहायक हों।
2. ट्रस्टी मंडल की सभा में किसी विषय पर बराबर-बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना।
3. ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति को आपात स्थिति में देखकर उसे भंग करना। कार्यकारिणी समिति के समस्त अधिकार अपने में निहित कर 2 माह के अन्दर नई कार्यकारिणी का गठन करना।
4. ट्रस्ट के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण, अनुदान, चंदा, सम्पत्तियों, बंधक विलेखों, बिल वाऊचर आदियों पर हस्ताक्षर करना।
5. ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना। दान अनुदान, चंदा प्राप्त करना व सदस्यों को उसकी रशीद देना।
6. ट्रस्ट की किसी भी ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के विरुद्ध अनियमितता व ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करने पर उसे 6 वर्ष तक की अवाधि के लिए सभा से निलम्बित

Principal
Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

21/2/11

Signature



Signature



Manager
Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

करना तथा अनुशासन हीनता करने पर सचिव व कोषाध्यक्ष को छोड़कर किसी भी पदाधिकारी व सदस्य की सदस्यता समाप्त करना।

7. ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।
8. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित धार्मिक संस्थानों व अन्य इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निस्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना एवं उनके वेतन, भत्ते आदि तय करना।
9. आकरिमक व्यय हेतु 2,000/- रुपये तक अपने पास अग्रिम रखना व व्यय करना।
10. ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष द्वारा समस्त प्रकार का पत्राचार करना। मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना एवं मीटिंग की कार्यवाही लिखना।
11. ट्रस्ट वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा व बजट तैयार कर स्वीकृति हेतु ट्रस्ट समिति के समक्ष मीटिंग में रखना।
12. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी एवं विधिक सलाहकार के सहयोग से समस्त कार्यवाही को संचालित करना।
13. ट्रस्ट के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करते हों।

14. ट्रस्टीगणों के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. ट्रस्टीगण किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से चंदा, दान, अंशदान एवं गिफ्ट नगद अथवा चैक/ड्राफ्ट तथा अन्य प्रकार से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
2. ट्रस्टीगण ट्रस्ट की आय अथवा ट्रस्ट फण्ड को या एकत्रित ट्रस्ट की राशि को ट्रस्ट के हितों के लिये किसी भी कार्य में प्रयोग करने के अधिकारी होंगे।
3. ट्रस्टीगण, ट्रस्ट की सम्पत्ति को ट्रस्ट के हित में किसी भी विनियोग में निक्षेप करने के अधिकारी होंगे।
4. ट्रस्टीगण ट्रस्ट के कोष को किसी भी चल-अचल सम्पत्ति, शेयर, ऋण पत्र, बचत पत्र अथवा किसी भी प्रतिभूति में निक्षेप करने के अधिकारी होंगे तथा वह किसी भी कम्पनी को व्यक्ति को अथवा फर्म एवं संस्था को ऋण के रूप में देने के अधिकारी होंगे। परन्तु ट्रस्ट की सम्पत्ति को बेचने के अधिकारी नहीं होंगे।
5. ट्रस्टीगण ट्रस्ट के हित में किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था अथवा व्यक्ति से ऋण लेने के अधिकारी होंगे।
6. ट्रस्टीगण ट्रस्ट की सम्पत्ति को ट्रस्ट के हित में किराये पर देने के अधिकारी होंगे।
7. ट्रस्टीगण ट्रस्ट पर किसी भी मुकद्दमे व अन्य नृत्त विवादों के सम्बन्ध में समस्त प्रकार की विधिक कार्यवाही करने एवं अधिवक्ता अथवा पैरोकार नियुक्त करने के अधिकारी होंगे।
8. ट्रस्टीगण ट्रस्ट द्वार संचालित सभी प्रकार के प्रकल्पों के सुचारू संचालन हेतु कर्मचारी नियुक्त करने, उन्हें पदच्युत करने एवं उनके वेतन भत्ते निर्धारित करने के अधिकारी होंगे।
9. ट्रस्टीगण ट्रस्ट के हितार्थ समय-समय पर आवश्यक नियमों, उपनियमों में परिवर्तन, शोधन एवं नवीन नियम उन नियम बनाने के अधिकारी होंगे।
10. ट्रस्टीगण ट्रस्ट के हितों के लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, केम्पिपा बोर्ड अथवा संस्था एवं सांसद व विधायक निधि से अनुदान के लिये

Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Katan, Agra

D. J. Dey
Manager
Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Katan, Agra



J. J. J.

Lama

प्रार्थना भेजने एवं प्राप्त करने के सम्बन्ध में उक्त लोगों से सम्पर्क करने के अधिकारी होंगे।

11. ट्रस्टीगण ट्रस्ट के हितों के लिये किसी भी अन्य ट्रस्ट जो कि समान उद्देश्यों की पूर्ति करता हो को, अधिग्रहीत करने के अधिकारी होंगे।
12. ट्रस्टीगण ट्रस्ट के हितों के लिए ट्रस्ट की अन्य किसी स्थान पर शाखायें खोलने एवं उनके क्षेत्र विस्तार तथा उनकी सहायता करने के अधिकारी होंगे।
13. ट्रस्टीगण किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक लेने के अधिकारी नहीं होंगे। परन्तु वह अपने द्वारा खर्च किये गये निजी धन को लेने के अधिकारी होंगे।
14. कोई भी ट्रस्टीगण ट्रस्ट की सम्पत्ति से निजी लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा तथा समस्त सम्पत्ति का उपयोग, धार्मिक, परमार्थिक एवं लोकहित के कार्यों में तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर सकेगा।
15. ट्रस्ट के विघटन होने की दशा में ट्रस्ट की समस्त चल, अचल सम्पत्ति एवं ट्रस्ट का विलीनकरण समान उद्देश्यों वाले ट्रस्ट अथवा संस्था में किया जा सकेगा।
16. यह भी घोषणा की जाती है कि कोई भी ट्रस्टी, ट्रस्ट की आय अथवा सम्पत्ति का प्रयोग ट्रस्ट के अन्दर ही खर्च किया जायेगा अथवा ऐसे किसी भी मद पर खर्च नहीं किया जायेगा जो ट्रस्ट के हितों के विपरीत हो।

15.

समावेशित शासन/शिक्षा विभाग के प्रतिबन्ध -

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं तथा विद्यालय को सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर डि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती हैं तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(ङ) संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय तर संस्थामिक विद्यालयों में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

Principal

Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra



Manager

Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जा रही है तथा भविष्य में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओं रखा जायेगा।

(ञ) उपयुक्त क्रम क से झ में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

(ट) उपर्युक्त क्रम क से अ तक के प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बायलॉज में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

नोट- यह ट्रस्ट डीड वही सं० 4 जिल्द सं० 31 के पृष्ठ 305/322 पर क्रमांक 7 दिनांक 12.06.2017 पर दर्ज विलेख का भाग है इसमें कुछ नये नियम/उपबन्ध बढ़ाये/बनाये गये है जो स्वीकार है।

लिहाजा यह ट्रस्ट डीड मुझ निर्माणकर्ता परसराम मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा खूब सोच समझ कर स्वेच्छा से स्वस्थ चित्त, मन बुद्धि से बिना किसी दबाव नाजायज के एवं अन्य संस्थापक ट्रस्टीगणों की सहमति से आज दिनांक 30/09/23 को द्वारा अभिलिखित मुकाम तहसील बाह जिला आगरा पर गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित करायी गयी।

ड्राफ्टकर्ता राजेश यादव एडवोकेट तहसील बाह जिला आगरा।

राजेश यादव
30.9.23

परशुराम







गवाह-

1. ब्रह्मेश यादव पुत्र श्री छोटे सिंह निवासी- गली गोपाल जी कस्बा बाह जिला आगरा मो- 9997115015

30/09/23



D Yadav
Manager
Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra



2. संतोष यादव पुत्र गौधी सिंह निवासी- गोहरा तहसील बाह जिला आगरा मो- 9759660587



Principal
Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra



